राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 112/24 प्रा.पत्र

1. श्री शंकर s/o धीसा बैरवा निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री गंगाराम s/o गोपी बलाई निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल [वगैरा]
(सहखातेदार सम्मिलित प्रा.पत्र)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 21-5-24

::आदेश::

[illegible] की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] भगवानपुरा ......पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं0 ....1077, 1080 ......कुल किता.......02 रकबा 0.1770 ....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि [illegible] के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 08-05-24 ......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को [illegible] से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं [illegible] काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए [illegible] की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....1077, ...1080 .... कुल किता......................02 ....रकबा....0.1770 ....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को ......500......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] जमा कराने पर नियमानुसार [illegible] की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल